

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/ 10279

दिनांक : 02-01-24

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **GOVT. MAHARANI LAXMI BAI COLLEGE OF EXCELLENCE, GWALIOR** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
GOVT. MAHARANI LAXMI BAI COLLEGE OF EXCELLENCE, GWALIOR	THREE YEAR LLB.	240
	FIVE YEAR BA.LLB.	60
	L.L.M.	30

आदेशानुसार



कुलसचिव

नोटिस:-

1. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।

प्रति,

1. प्राचार्य, **GOVT. MAHARANI LAXMI BAI COLLEGE OF EXCELLENCE, GWALIOR**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/ 10280

दिनांक : 03-01-24

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **GOVT. KAMLA RAJA GIRLS AUTONOMOUS P.G. COLLEGE, GWALIOR** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
GOVT.KAMLA RAJA GIRLS AUTONOMOUS P.G. COLLEGE, GWALIOR	FIVE YEAR BA.LLB.	120

आदेशानुसार



कुलसचिव

नोटिस:-

- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।

प्रति,

- प्राचार्य, **GOVT. KAMLA RAJA GIRLS AUTONOMOUS P.G. COLLEGE, GWALIOR**
- सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/ 10268

दिनांक : 27-12-23

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरान्त कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **GWALIOR LAW COLLEGE, MORAR GWALIOR** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
GWALIOR LAW COLLEGE, MORAR GWALIOR	THREE YEAR L.L.B.	160
	L.L.M.	40
	FIVE YEAR B.A.LL.B. (IST YEAR ALL YEAR NOC)

आदेशानुसार


कुलसचिव

नोटिस:-

- महाविद्यालय में मूट कोर्ट में सुधार की आवश्यकता है।
- पुस्तकालय में पुस्तकों का अभाव है रु. 01 लाख रुपये की पुस्तकों क्रय की जावें।
- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।
- महाविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कमियों की प्रतिपूर्ति बी.सी.आई./यू.जी.सी. के नियमानुसार अनिवार्य रूप से शीघ्र पूर्ण करें। यदि महाविद्यालय उक्त कमियों की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रति,

- प्राचार्य, **GWALIOR LAW COLLEGE, MORAR GWALIOR**
- सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-

जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/ 10269

दिनांक : 27-12-23...

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **MADHAV VIDHI MAHAVIDHYALAYA, GWALIOR** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
MADHAV VIDHI MAHAVIDHYALAYA, GWALIOR	THREE YEAR L.L.B.	240
	FIVE YEAR BA.L.L.B.	120
	L.L.M.	40

आदेशानुसार

कुलसचिव

नोटिस:-

- 50,000 रुपये की पुस्तकें क्रय की जाएं।
- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।
- महाविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कमियों की प्रतिपूर्ति बी.सी.आई./यू.जी.सी. के नियमानुसार अनिवार्य रूप से शीघ्र पूर्ण करें। यदि महाविद्यालय उक्त कमियों की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रति,

1. प्राचार्य, **MADHAV VIDHI MAHAVIDHYALAYA, GWALIOR**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-

जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/ 10270

दिनांक : ...27.12.23...

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT, GWALIOR** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT, GWALIOR	FIVE YEAR BA.L.L.B. HONS	120
	FIVE YEAR B.COM.L.L.B. HONS	120
	FIVE YEAR B.B.A.LL.B. HONS	120
	L.L.M.	30

आदेशानुसार



कुलसचिव

नोटिस:-

- प्राचार्य, विधि के लिये पृथक से नियुक्त किया जावे। रिसर्च जर्नल्स मंगाये जावें।
- पुस्तकालय में नई पुस्तकें क्रय की जाना है।
- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।
- महाविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कमियों की प्रतिपूर्ति बी.सी.आई./यू.जी.सी. के नियमानुसार अनिवार्य रूप से शीघ्र पूर्ण करें। यदि महाविद्यालय उक्त कमियों की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रति,

1. प्राचार्य, **PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT, GWALIOR**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-

जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/ 10271

दिनांक : 27-12-23

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **MAHATMA GANDHI COLLEGE OF LAW, GWALIOR** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
MAHATMA GANDHI COLLEGE OF LAW, GWALIOR	THREE YEAR L.L.B.	120
	FIVE YEAR BA.LL.B.	180
	L.L.M.	50

आदेशानुसार


कुलसचिव

नोटिस:-

- पुस्तकालय में रु. 50,000/- की नई पुस्तकें क्रय की जावे।
- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।
- महाविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कमियों की प्रतिपूर्ति बी.सी.आई./यू.जी.सी. के नियमानुसार अनिवार्य रूप से शीघ्र पूर्ण करें। यदि महाविद्यालय उक्त कमियों की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रति,

1. प्राचार्य, **MAHATMA GANDHI COLLEGE OF LAW, GWALIOR**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-

जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/ 10272

दिनांक : 27-12-23

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **SARV DHARM VIDHI MAHAVIDHYALAYA, GWALIOR** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
SARV DHARM VIDHI MAHAVIDHYALAYA, GWALIOR	THREE YEAR L.L.B. L.L.M.	80 30

आदेशानुसार


कुलसचिव

नोटिस:-

- पुस्तकालय में रु. 50,000/- की नई पुस्तकें क्रय की जावें।
- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।
- महाविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कमियों की प्रतिपूर्ति बी.सी.आई./यू.जी.सी. के नियमानुसार अनिवार्य रूप से शीघ्र पूर्ण करें। यदि महाविद्यालय उक्त कमियों की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रति,

1. प्राचार्य, **SARV DHARM VIDHI MAHAVIDHYALAYA, GWALIOR**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/10273

दिनांक : 27.12.23

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक 05 (अ-अ-01) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **PRATHVI LAW COLLEGE, KHURERI, MORAR, GWALIOR** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT
PRATHVI LAW COLLEGE, KHURERI, MORAR, GWALIOR (New College Session 2024-25)	THREE YEAR L.L.B. (IST YEAR ALL YEAR NOC)

आदेशानुसार


कुलसचिव

नोटिस:-

- पुस्तकालय में रु. 2,00,000/- की नई पुस्तकें क्रय की जाना है।
- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।
- महाविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कमियों की प्रतिपूर्ति बी.सी.आई./यू.जी.सी. के नियमानुसार अनिवार्य रूप से शीघ्र पूर्ण करें। यदि महाविद्यालय उक्त कमियों की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रति,

1. प्राचार्य, **PRATHVI LAW COLLEGE, KHURERI, MORAR, GWALIOR**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/ 10281


दिनांक : ...03-01-24...

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **GOVT. M.J.S. COLLEGE, BHIND** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
GOVT. M.J.S. COLLEGE, BHIND	THREE YEAR LL.B.	120

आदेशानुसार



कुलसचिव

नोटिस:-

1. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।

प्रति,

1. प्राचार्य, **GOVT. M.J.S. COLLEGE, BHIND**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/ 10274

दिनांक : 27-12-23

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **CH. RUSTAM SINGH GROUP OF COLLEGE (LAW), DIRDI, BHIND** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
CH. RUSTAM SINGH GROUP OF COLLEGE (LAW), DIRDI, BHIND	THREE YEAR L.L.B.	120
	FIVE YEAR BA.L.L.B.	120
	L.L.M.	30

आदेशानुसार


कुलसचिव

नोटिस:-

- पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जावे।
- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।
- महाविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कमियों की प्रतिपूर्ति बी.सी.आई./यू.जी.सी. के नियमानुसार अनिवार्य रूप से शीघ्र पूर्ण करें। यदि महाविद्यालय उक्त कमियों की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रति,

1. प्राचार्य, **CH. RUSTAM SINGH GROUP OF COLLEGE (LAW), DIRDI, BHIND**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-

जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/ 10275

दिनांक : 27.12.23

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **CHOUDHARY DILIP SINGH LAW COLLEGE, BHIND** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
CHOUDHARY DILIP SINGH LAW COLLEGE, BHIND	THREE YEAR L.L.B.	120
	FIVE YEAR BA.L.L.B.	120
	L.L.M.	20

आदेशानुसार


कुलसचिव

नोटिस:-

- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।
- महाविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कमियों की प्रतिपूर्ति बी.सी.आई./यू.जी.सी. के नियमानुसार अनिवार्य रूप से शीघ्र पूर्ण करें। यदि महाविद्यालय उक्त कमियों की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रति,

- प्राचार्य, **CHOUDHARY DILIP SINGH LAW COLLEGE, BHIND**
- सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-

जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/10276

दिनांक : 27-12-23

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **MAA TRIMUKHA LAW COLLEGE KHARIPURA, MEHGAON, BHIND** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT
MAA TRIMUKHA LAW COLLEGE KHARIPURA, MEHGAON, BHIND (New College Session 2024-25)	THREE YEAR L.L.B. (IST YEAR ALL YEAR NOC)

आदेशानुसार


कुलसचिव

नोटिस:-

- पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जावे।
- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।
- महाविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कमियों की प्रतिपूर्ति बी.सी.आई./यू.जी.सी. के नियमानुसार अनिवार्य रूप से शीघ्र पूर्ण करें। यदि महाविद्यालय उक्त कमियों की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रति,

1. प्राचार्य, **MAA TRIMUKHA LAW COLLEGE KHARIPURA, MEHGAON, BHIND**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/ 10282

दिनांक : 03-01-24

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **GOVT. LAW COLLEGE, MORENA** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
GOVT. LAW COLLEGE, MORENA	THREE YEAR L.L.B.	120

आदेशानुसार



कुलसचिव

नोटिस:-

1. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।

प्रति,

1. प्राचार्य, **GOVT. LAW COLLEGE, MORENA**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/ 10292

दिनांक : 05-01-24

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **GOVT. LAW COLLEGE, DATIA** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
GOVT. LAW COLLEGE, DATIA	THREE YEAR L.L.B.	120

आदेशानुसार



कुलसचिव

नोटिस:-

1. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।

प्रति,

1. प्राचार्य, **GOVT. LAW COLLEGE, DATIA**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/ 10267

दिनांक : ...27-12-23...

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **GOVT. LAW COLLEGE, SHEOPUR** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
GOVT. LAW COLLEGE, SHEOPUR	THREE YEAR L.L.B. (IInd YEAR ALL YEAR NOC)	120

आदेशानुसार



कुलसचिव

नोटिस:-

- महाविद्यालय शेष 04 शिक्षकों की शासन से नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति अथवा अतिथि प्राध्यापकों के माध्यम से इस कमी को पूर्ण करने का प्रयास करे।
- महाविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कमियों की प्रतिपूर्ति बी.सी.आई./यू.जी.सी. के नियमानुसार अनिवार्य रूप से शीघ्र पूर्ण करें। यदि महाविद्यालय उक्त कमियों की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।

प्रति,

- प्राचार्य, **GOVT. LAW COLLEGE, SHEOPUR**
- सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/ 10284

दिनांक : 03.01-24

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **GOVT. S.M.S. P.G. COLLEGE, SHIVPURI** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
GOVT. S.M.S. P.G. COLLEGE, SHIVPURI	THREE YEAR L.L.B.	120

आदेशानुसार


कुलसचिव

नोटिस:-

1. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।

प्रति,

1. प्राचार्य, **GOVT. S.M.S. P.G. COLLEGE, SHIVPURI**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-

जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/ 10285

दिनांक : 03.01.24

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **GOVT. P.G. COLLEGE, GUNA** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
GOVT. P.G. COLLEGE, GUNA	THREE YEAR L.L.B.	120

आदेशानुसार



कुलसचिव

नोटिस:-

1. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।

प्रति,

1. प्राचार्य, **GOVT. P.G. COLLEGE, GUNA**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/ 10266

दिनांक : 27-12-23

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **SONALI COLLEGE, SARASWATI BIHAR COLONY, GUNA** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
SONALI COLLEGE, SARASWATI BIHAR COLONY, GUNA	THREE YEAR L.L.B. FIVE YEAR BA. L.L.B.	60 60

आदेशानुसार



कुलसचिव

नोटिस:-

- पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जावे।
- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।
- महाविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कमियों की प्रतिपूर्ति बी.सी.आई./यू.जी.सी. के नियमानुसार अनिवार्य रूप से शीघ्र पूर्ण करें। यदि महाविद्यालय उक्त कमियों की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो संबंधित महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रति,

- प्राचार्य, **SONALI COLLEGE, SARASWATI BIHAR COLONY, GUNA**
- सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूजीवर्षिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/ 10286


दिनांक : ...03-01-24

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **GOVT. NEHRU DEGREE COLLEGE, ASHOKNAGAR** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
GOVT. NEHRU DEGREE COLLEGE, ASHOKNAGAR	THREE YEAR L.L.B.	120

आदेशानुसार



कुलसचिव

नोटिस:-

1. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।

प्रति,

1. प्राचार्य, **GOVT. NEHRU DEGREE COLLEGE, ASHOKNAGAR**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-
जीवाजी विश्वविद्यालय,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्
ग्वालियर



ग्राम : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442828
(कार्यालय)

E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/10286


दिनांक : 03-01-24

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के पद क्रमांक (02) की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की प्रत्याशा में **GOVT. NEHRU DEGREE COLLEGE, ASHOKNAGAR** को सत्र 2024-25 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

NAME OF COLLEGE	SUBJECT	SEATS NO. EXISTING
GOVT. NEHRU DEGREE COLLEGE, ASHOKNAGAR	THREE YEAR L.L.B.	120

आदेशानुसार


कुलसचिव

नोटिस:-

1. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सत्र 2024-25 में विधि कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे।

प्रति,

1. प्राचार्य, **GOVT. NEHRU DEGREE COLLEGE, ASHOKNAGAR**
2. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

